06/03/18

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। प्रार्थी वकील बहस फाईनल करना चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/04/18 को पेश हो।

17/04/18

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी वकील नेचमबन्दी आवेदन पर बहस फाईनल करना चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 08/05/18 को पेश हो।

08/05/18

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खारापार मे रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो के चारों ओर पक्के नेचम स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेचमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेचमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेचमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेचमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करे, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, खारापार)

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 568

दिनांकः– 08 / 05 / 2018

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. श्री खेताराम पुत्र नाथाराम,
जाति–जाट, निवासी–श्रवणनाडी, चीबी
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

1. श्री गुमना पुत्र सोनाराम वगैरा 8
जातियान्–जाट
निवासीयान्–श्रवणनाडी तहसील–गिड़ा,
जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 06 / 2018

आदेश

मौजा श्रवणनाडी पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 183 / 30, 186 / 36, 195 / 65, 35 रकबा क्रमशः 15.03, 41.12, 25.09, 06.08 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलेक्टर (SDO)

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 08 / 05 / 2018

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 569 - 73
प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र नाथाराम।
4. विप्रार्थी गुमना पुत्र सोनाराम वगैरा 8।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु